

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

संख्या:-05/स्था0(डी0टी0ओ0)-30/2013..... /परि0, पटना दिनांक....

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-4220 दिनांक-08.04.2017 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन के लिए सेवा प्राप्त बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ- 05 में अंकित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम/कोटि क्रमांक	गृह जिला	पूर्व पदस्थापन	नव पदस्थापन का पद एवं जिला
1	2	3	4	5
1	श्री माधव कुमार सिंह, 847/11	औरंगाबाद	अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर (पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	जिला परिवहन पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)
2	श्री भूपेन्द्र प्रसाद यादव, 743/11	पूर्वी चम्पारण	अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान सदर (पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	जिला परिवहन पदाधिकारी, गोपालगंज
3	श्री अखिलेश कुमार सिंह, 857/11	मुजफ्फरपुर	अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज, सिवान (पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद
4	श्री लाल भावू सिंह, 665/11	पूर्वी चम्पारण	अनुमंडल पदाधिकारी, शिवहर (पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर
5	श्री अरविन्द मंडल, 694/11	मुंगेर	अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज, प० चम्पारण (पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	जिला परिवहन पदाधिकारी, बाँका
6	श्री राजेश कुमार, 803/11	पटना	अनुमंडल पदाधिकारी, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर (पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर
7	श्री अरूण कुमार सिंह, 718/11	रोहतास	अनुमंडल पदाधिकारी, वीरपुर, सुपौल (पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल
8	श्री अरविन्द कुमार, 691/11	नवादा	अनुमंडल पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज सुपौल (पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	जिला परिवहन पदाधिकारी, लखीसराय एवं शेखपुरा

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए उपरोक्त नवपदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारियों को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती हैं।

3. उपरोक्त नवपदस्थापित जिला परिवहन पद अधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे अविलम्ब नव पदस्थापन वाले पद का प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
4. प्रस्ताव में राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना की अनुमति प्राप्त है।

ह0/--


अपर सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ईमेल

ज्ञापांक-05/स्था0(डी0टी0ओ0)-30/2013-2563/परि0, पटना दिनांक... 15/5/17

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-ग ट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना / महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वैयक्तिक दाय निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना, / मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना / मुख्य सचिव के प्रधान अप्त सचिव, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी, / सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार / सभी जिला परिवहन पदाधिकारी / सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी / सभी संबंधित मोटरयान निरीक्षक / सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक / सभी नव पदस्थापित पदाधिकारी / परिवहन विभाग के सभी प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

संख्या:-05/स्था0(डी0टी0ओ0)-30/2013..... /परि0, पटना दिनांक....

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-4220 दिनांक-08.04.2017 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन के लिए सेवा प्राप्त बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ- 05 में अंकित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है-

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम/कोटि क्रमांक	गृह जिला	पूर्व पदस्थापन	नव पदस्थापन का पद एवं जिला
1	2	3	4	5
1	श्री माधव कुमार सिंह, 847/11	औरंगाबाद	अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर (पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	जिला परिवहन पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)
2	श्री भूपेन्द्र प्रसाद यादव, 743/11	पूर्वी चम्पारण	अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान सदर (पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	जिला परिवहन पदाधिकारी, गोपालगंज
3	श्री अखिलेश कुमार सिंह, 857/11	मुजफ्फरपुर	अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज, सिवान (पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद
4	श्री लाल बाबू सिंह, 665/11	पूर्वी चम्पारण	अनुमंडल पदाधिकारी, शिवहर (पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर
5	श्री अरविन्द मंडल, 694/11	मुंगेर	अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज, प0 चम्पारण (पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	जिला परिवहन पदाधिकारी, बाँका
6	श्री राजेश कुमार, 803/11	पटना	अनुमंडल पदाधिकारी, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर (पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर
7	श्री अरुण कुमार सिंह, 718/11	रोहतास	अनुमंडल पदाधिकारी, वीरपुर, सुपौल (पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल
8	श्री अरविन्द कुमार, 691/11	नवादा	अनुमंडल पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज सुपौल (पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	जिला परिवहन पदाधिकारी, लखीसराय एवं शेखपुरा

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए उपरोक्त नवपदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारियों को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती हैं।

3. उपरोक्त नवपदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे अविलम्ब नव पदस्थापन वाले पद का प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

4. प्रस्ताव में राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना की अनुमति प्राप्त है।

ह0/-

अपर सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ईमेल ज्ञापांक-05/स्था0(डी0टी0ओ0)-30/2013..... /परि0, पटना दिनांक....

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी,/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक/सभी नव पदस्थापित पदाधिकारी/परिवहन विभाग के सभी प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-05/स्था0(डी0टी0ओ0)-30/2013..... /परि0, पटना दिनांक....

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना एवं परिवहन विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-05/स्था0(डी0टी0ओ0)-30/2013...2563/परि0, पटना दिनांक.... 15/5/17

प्रतिलिपि- आई0टी0मैनेजर, कम्प्युटर कोषांग, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को निदेशित किया जाता है कि अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें तथा अधिसूचना की सी0 डी0 तैयार कर प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायें।

अपर सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।